न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 19/2018 (उदयपुर डिक्री)

उर्जनलाल रेबारी पिता रूगा जी रेबारी, निवासी कडिया, हाल निवासी ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. का. अ.
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक
30.04.2015, प्रकरण संख्या 194/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय सेन अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 16–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद संख्या 242/1999 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कडिया में आराजी नंबर 2771 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज थी। इस भूमि का आवंटन वादी को दिनांक 28–02–1977 को किया जाकर उसका पट्टा वादी के हक में जारी किया गया एवं कब्जा सिपुर्द किया गया, तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। सरकार की गलती से वादी के नाम भूमि दर्ज नहीं हुई एवं बिलानाम सरकार दर्ज चली आ रही है। अतएवं वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–07–2003 को मौके रिपोर्ट तहसील गिर्वा से तलब की गयी, जिस पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट अपने पत्र दिनांक 04–05–2006 से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया कि विवादित भूमि वादी को वर्ष 1977 में नसबन्दी में आवंटित हुई थी, मौके पर अमरा कालबेलिया का कब्जा है, जिसके कुछ भाग पर काश्त हो रही है, शेष पड़त पड़ी हुई है। आवंटी अर्जुन ने बताया कि आवंटन के समय उसे भूमि नापकर दी गयी थी, लेकिन मैं बीमार होने से कब्जा नहीं कर सका। पुनः विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 27–01–2017 पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर भिजवायी गयी जो पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 03–02–2007 का अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

तहसीलदार द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी का मौके पर कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की :–

1. आया मौजा कडिया तहसील गिर्वा की आराजी नंबर 2771 रकबा 10 बीघा भूमि वादी को दिनांक 28–02–1977 को कैम्प देलवाड़ा में आवंटित हुई ? ..... वादी
2. आया आवंटित भूमि पर वादी का कब्जा भूमि सिपुर्द तिथि से आज तक बराबर चला आ रहा है ? ..... वादी
3. आया भूमि वादी के खाते दर्ज नहीं होने से आज तक बिलानाम चली आ रही है ? ..... वादी
4. विवादित भूमि पर मौके पर कब्जा वादी का नहीं है ?..... प्रतिवादी
5. अनुतोष ?

प्रकरण में जिला कलक्टर सतर्कता उदयपुर द्वारा दिनांक 07–04–2007 को उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को यह भी निर्देश दिये गये कि भूमि पर अतिक्रमी का कब्जा हटाकर आवंटन को कब्जा सिपुर्द करें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिनांक 13–04–2007 से पूर्व अवगत करावें। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 242/1999 में दिनांक

30–06–2007 को तनकीवार विवेचन करते हुए निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

''वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने तथा तनकी के विवेचन से यह तो सही है कि वादी उर्जन रेबारी को वर्ष 1977 में भूमि आवंटित हुई लेकिन उसे कब्जा दिया जाने की पत्रावली में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है और न वादी ने कब्जा होने का कोई ठोस प्रमाण ही प्रस्तुत किया है। वादी जो भूमि अपनी बता रहा है वह वर्तमान समय में अन्य व्यक्ति के कब्जे में होकर काश्त की जा रही है। अतः वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है लेकिन चूंकि वादी को भूमि आवंटित होना पाया गया है। अतः तहसीलदार गिर्वा को लिखा जावे कि उक्त आराजी में यदि भूमि उपलब्ध हो तो उसे सिपुर्द करें।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 242/1999 में पारित निर्णय दिनांक 30–06–2007 के विरूद्ध वादी अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 141/2009 प्रस्तुत की गयी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–03–2010 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :–

''अतः उपर वर्णित परिस्थितियों अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2007 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार गिर्वा से नये सिरे से मौके की रिपोर्ट मंगवा ली जावे ताकि स्पष्ट हो सके कि कितनी भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है एवं मौके पर अपीलार्थी के कब्जे अनुसार अपीलार्थी के खाते में आवंटित भूमि का अंकन किया जावे।''

इस न्यायालय के प्रतिप्रेक्षण आदेश के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 194/2013 दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार भू अभिलेख बड़गांव से अपने पत्र दिनांक 13–03–204 से रिपोर्ट तलब की, जिसमें अंकित किया कि वादी उर्जन ग्राम कडिया का निवासी नहीं है तथा उसका पी.14 में कब्जा नहीं है। मौतबिरानों ने वादी को कई वर्षो से ग्राम कुमावतों का गुड़ा में आना नहीं बताया तथा वादी के परिवार कोई भी सदस्य ग्राम कुमावतों का गुड़ा में निवासरत नहीं होना बताया तथा ग्राम कडिया में रेबारी जाति का कोई व्यक्ति नहीं होना बताया।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03–06–2014 को आदेशिका में यह अंकित किया कि तहसीलदार बड़गांव से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट पर वास्ते बहस दिनांक 24–06–2014 को पेश हो। दिनांक 24–06–2014 को पत्रावली पेश नहीं होकर दिनांक 30–06–2014 को पेश हुई। आदेशिका दिनांक 30–06–2014 में अधिनस्थ न्यायालय ने यह अंकित किया कि प्रकरण वादी अधिवक्ता की मांग पर सिगरह से तलाश कर पेश हुआ। दिनांक 29–04–2015 की आदेशिका अनुसार वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण वास्ते निर्णय दिनांक 30–04–2015 को पेश हो।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–04–2015 से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10–04–2014 वादी का ग्राम कडिया (कुमावतों का गुड़ा) में निवासरत नहीं होना तथा ग्राम कडिया में रेबारी जाति का व्यक्ति निवासरत नहीं होता एवं कब्जा वादी का आराजी नंबर 2771 में नहीं होने वादी का वाद खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2015 से रूष्ट होकर वादी/अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08–02–2018 को प्रस्तुत की गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उन्होंने अपना अधिवक्ता मुकर्रर कर रखा था, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होगी तो बुला लिया जावेगा। काफी समय तक वकील साहब का कोई बुलावा नहीं आने से प्रकरण की जानकारी ली तो पता चला कि उनकी अपनुस्थिति में वाद खारिज हो गया, जिस पर अपीलान्ट ने नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 30–06–2014 को वादी अधिवक्ता की मांग पर पत्रावली सिगरह से तलब तलाश कर पेश हुई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 08–12–2014 को पुनः वादी अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 29–04–2015 को वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–04–2015 की मयाद 29–06–2015 होती है, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस

न्यायालय में दिनांक 08–02–2018 को अर्थात करीब 2 वर्ष 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की है। इतने समय उन्होंने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया तथा इस बीच उसके द्वारा क्या उद्यम किया गया है, यह प्रकट नहीं होता है। करीब 2 वर्ष 8 माह विलम्ब के लिए अपीलान्ट ने जो आधार लिया है व न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। न्यायालय सिर्फ न्याय की चाहत रखने वाले जागृत पक्षकार की ही मदद कर सकता है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि 2 वर्ष 8 माह तक अपीलान्ट/वादी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया, इससे यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उदासीन है। अतएवं 2 वर्ष 8 माह की मयाद कण्डोन किये जाने के लिए कोई ठोस एवं उचित आधार नहीं होने से अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

उर्जनलाल पिता रूगा जी रेबारी, निवासी कडिया, हाल नि. ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर बनाम **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर**

अपील नं.....**19/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....30**.....माह.....**04**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**16**....माह.....**08**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय सेन**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री पंकज भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**16**.....माह.....**08**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।